

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
झंझार (बीलवाड़ा)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

App
Ctn

अज अदालत..... मुकाम.....
..... बानाम श्री कान्छर
..... किस्म मुकदमा..... नं. 448/2018

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

11/5/18 पञ्जाब राजस्व लोकअदालत
शिकर शिवपुर पर पैशादुही
इसपक्ष उपस्थित कानी द्वारा
वाद पत्र में अंकित तथ्य दोहरा
रहित रूप से हमें ग्राम व पंचसुख शिवपुर
तहसील स्थित खाता सं० 174
किता मुताबिक जमाबंदी सं० 2013
से 2018 कुल रकम 8.04 बीघा
भूमी काहीगुण के पिता के पक्ष में
दर्ज रेकार्ड थी परन्तु वक्ला हेममंत
इसपक्ष के नंबरो के नये नंबर
वापस लेकर शही खतौनी सं०
खतौनी सं० 268 पर मुताबिक
जमाबंदी 2034 से 2037 किता
का कुल रकम 5.14 बीघा का पत्र
राजस्व आमीलियों में पुराने नाम
व नवीन नाम के अंतर के मुकाम
कुल 0.09 बीघा भूमी वापस पक्ष के
कम आमीलियत कर अन्य व्यक्ति
उत्पत्ती सं० 7 के नाम पर रेकार्ड



सहायक कलक्टर

तारीख
वृत्त

न्यायालय उच्चंड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
कटेड़ा (भीलवाड़ा)

पं.क्र. ५५४/१७

या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

~~कर दी गयी जबकि उत्तिवादी सं ०७
 वा ३५१० का वादग्रस्त ०.०९ बीघा
 भूमी से दर - २ तक बंधानिर
 रूप से कोट्टा वास्ता नहीं रहा
 है। लोक अदालत शिवापुर में
 उत्तिवादी सं ०७ खड़ीपिता मोहनलाल
 गोसी नि ० शिवापुर न मजमूआम
 चर्चापाल में न्यायालय के समक्ष
 स्वीकार किया कि मो जा शिवापुर
 स्थित आ ० नं ० ३७५४/१९६५
 रकबा ०.०९ बीघा जो वृत्तमान में
 वही के नाम दर्ज रेकार्ड है वह
 वादग्रस्त ०.०९ बीघा भूमी वक्त
 से दफ्त में राजस्व व मिसें कर
 इसके पक्ष में अधिवाली रिफ्त
 कर दी गयी जबकि बसुतः
 उत्त ०.०९ बीघा भूमी के वास्ताविर
 माहिक स्वयं वादी तथा उत्तिवादी
 सं ० ०७ लगात ०६ है। अतः
 उत्तिवादी सं ० ७ के बवा त मे
 अधि कर दर्ज ०.०९ बीघा भूमी
 वादी एवं उत्तिवादी सं ० ०७ से
 ०६ के मामल पुनः दर्ज कर दी
 जावे तो मेरी पूर्ण सहमति
 में पत्रावली का अवलोकन~~

तारीख हुक्म न्यायालय उ० : ५०३० ५५४/१७
 एवेन सहायक हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
 हुक्म (पीलवाड़ा) वाद

एवं मनन किया तथा उपरि
 उक्त पक्ष का खिला पूर्व हुना
 गया। लोक उदात्त वीरवना
 से विधि निर्मित किए जाने का
 यह सब लक्षण मूना है। इस
 वाक्य को पक्षों द्वारा राष्ट्रीय
 भी प्रस्तुत किया गया जिसका
 स्थापन सरपंच, बुद्ध पंच
 शिवर द्वारा मजमे आमच्य
 में किया गया।
 उपरोक्त विवेचन के आधार
 पर वारी का वाद पक्ष व एक वाद
 तथा उतिवारी सं ०६ लगातत ०६
 विरुद्ध उतिवारी सं ०७ राजनीयुम
 के आधार पर स्वीकार करत हु म
 मजमाली पक्ष लिखत अ० न० ३७५४
 रकबा ०००९ बीजा अमी जते १९६५
 में राजस्वर वार्ड में उतिवारी सं ० न
 नाम कर है व जात वारी एवं उति
 वारी सं ० सं ०६ को खाते का
 का शक कर घोषित करते हुये
 राजस्वर वार्ड में अतिरिक्त विधि
 जान बाव अशा उपान व जति
 ही प्रमाणार्थ तहसीलदार करण
 को लिखा जाव विद्वानुसार
 उक्ति म व टो पान व ल दम
 रजिस्ट्र से कम बीजार फसल
 शुभा है।
 निजम से बीजार शुना पा गया।

हुक्म जारी पावे

अमरावती . २० सित ५५०/१२ रा. भा. १

श्री सम्पतराज १० मोहनलाल महाजन नि. शिवपुर
हा. म. २१२०१६ ता. व्यास जिला अजमेर ।

पनाम

वरी

1. श्री कमल चंद पिता मोहनलाल महाजन नि. शिवपुर
हा. म. २१२०१६ ता. व्यास जिला अजमेर ।
2. सुरेश कुमार १० मोहनलाल महाजन नि. शिवपुर
हा. म. २१२०१६ ता. व्यास जिला अजमेर ।
3. सुमन कुमार १० मोहनलाल महाजन नि. शिवपुर
हा. म. २१२०१६ ता. व्यास जिला अजमेर ।
4. श्रीमती सुशीला देवी पिता मोहनलाल महाजन
पतिन पारसलाल गुप्ता महाजन नि. शिवपुर
हा. म. २१२०१६ ता. व्यास जिला अजमेर ।
5. श्रीमती संतोष बाई पिता मोहनलाल महाजन नि. शिवपुर
मदन जी मोहनलाल नि. शिवपुर हा. म. २१२०१६ ता. व्यास जिला अजमेर ।
6. श्रीमती सुशीला देवी पिता मोहनलाल महाजन नि. शिवपुर
हा. म. २१२०१६ ता. व्यास जिला अजमेर ।
7. वरी १० मोहनलाल महाजन नि. शिवपुर हा. म. २१२०१६ ता. व्यास जिला अजमेर ।
8. राजस्थान राजपत्रिका तहसील कारकरी
उदियादी गंगा ।